

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक 4256 /74/2014/2/34 (648)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 DEC 2018

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल ।

विषय:- निविदा में निवदाकार द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र को रुपये 50 के नोटराइज्ड स्टाम्प पेपर के स्थान पर स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र को मान्य करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपकी टीप क्रमांक यूओ नं. 864/File/FUS-/E-in-C/ भोपाल, दि.10.12.2018

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा शासन के आदेश क्रमांक एफ 16-181/2012/2/34 भोपाल दिनांक 2.8.2018 के द्वारा जारी अनुमति में एपेंडिक्स 2.10 के एनेक्चर-बी में बिंदु क्रमांक 4 निम्नानुसार जोड़े जाने की अनुमति प्रदान करता है:-

I understand that I will be liable to get prosecuted under relevant sections of the Law, if the information/documents/certificates submitted by me are found false or forged.


(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग